न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 01/2017

अनवान :-

दलीपसिह दतक पुत्र स्व. अमीचन्द जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा।

– सायल

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र स्व. रणजीत जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा।
2. दरिया सिह पुत्र स्व. रणजीत जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा।
3. जयमज पुत्र स्व. रणजीत जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा।
4. सावित्री पत्नी जयमल जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा।
5. उपपंजीयक छानीबड़ी/भादरा तहसील भादरा।

– गैरसायल

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत।

उपस्थिति : वकील श्री दलबीर बेनीवाल **: सायल**

वकील श्री कृष्ण गर्ग **: गैरसायलान**

निर्णय **दिनांक : 20.8.18**

संक्षेप में दरख्वास्त के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी रोही चक 9 जेएसएल के मु.न. 147 के किला नं. 16 व मु.न. 148 के किला नं. 20 का खातेदार आसामी है। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी के खेत में सीमा तोड़कर प्रवेश कर प्रार्थी के खेत की फसल व फसल बुवाई व जुताई को नष्ट कर देंगे या करवा देंगे तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति रूपयों पैसों में नही आंकी जा सकेगी।

बैलेस ऑफ कन्वीनियस प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि वाद के निस्तारण तक चक 9 जेएसएल के मु. न. 147 के किला नं. 16 व मु.न. 148 के किला नं. 20 में अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आशय की फरमाई जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के खेत की सीमा तोड़कर खेत में प्रवेश ना करे, फसल व फसल की बवाई जुताई को नष्ट नही करे, ना ही अन्य किसी से करावें, ना ही कोई ऐसा तक फेल करे या करावें जिससे प्रार्थी के हितों पर कुठाराघात होता हो तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त गैरसायल सं0 1 ता 3 का ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं अप्रार्थी सं. 4 का जवाब अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के साथ पढा जाने का कथन किया कि "अप्रार्थीगण के खेत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

के मु.न. 147 में प्रार्थी के खेत के बराबर स्थित है और वे अर्सा 60 साल से अधिक समय से उसके खेत के मु.न. 148 के किला नं. 20 व मु.न. 147 के किला नं. 16 से अपने खेत में वादी प्रार्थी की उतरी सींव के एक गढठा चौड़ाई में होकर रास्ते रास्त चले जाते है जिससे प्रार्थी को नुकसान होने का किसी प्रकार से कोई अन्देशा नही है। प्रार्थी को कोई भी बैलेन्स ऑफ कनविनियस हासिल नही है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को बेवजह परेशान करने के लिए व उनकी जोत का लाभ लेने से रोकने के लिए ऐसा दावा पेश किया है जो किसी भी सुरत में प्रार्थी निषेधाज्ञा का अधिकारी नही है। '' अतिरिक्त कथन में प्रार्थी व अप्रार्थीगण दोनो एक ही परिवार के सदस्य है जो गांव सागड़ा के निवासी है और दोनो ही उतरी ओर से सड़क से होकर अपने अपने खेतों में मु.न. 147 व 148 में प्रवेश करते है ऐसा वे 60 वर्षो से अधिक समय से आवागमन करते चले आ रहे है अप्रार्थीगण ने इस बाबत अपना दावा भी किया है जिसकी अपील श्रीमान राजसव अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के यहां जैरकार थी जो उक्त न्यायालय द्वारा अपील आंशिक स्वीकार कर पुनः सुनवाई हेतु पत्रावली अदालत हाजा मे रिमाण्ड कर दी है ऐसे में वादी का दावा किसी भी प्रकार से पोषणीय नही है। इसलिए उसकी दरख्वास्त काबिल खारिजी के है।

विद्वान उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस इस्तगासा 107, 116 (3) द.प्र.स. पुजिस थाना भिरानी दिनांक 17.07.2018 एवं राजसव अपील अधिकारी हनुमानगढ के अपील निर्णय दिनांक 03.07.2018 तथा वकील अप्रार्थीगण की ओर से न्यायिक दृष्टांग आरआरटी 2009–10 पेज सं. 343 चून्नी लाल बनाम लालचन्द आदि पेश की जिसका ससम्मान अध्ययन किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने : प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि वाद के निस्तारण तक चक 9 जेएसएल के मु.न. 147 के किला नं. 16 व मु.न. 148 के किला नं. 20 में अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आशय की फरमाई जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के खेत की सीमा तोड़कर खेत में प्रवेश ना करे, फसल व फसल की बवाई जुताई को नष्ट नही करे, ना ही अन्य किसी से करावें, ना ही कोई ऐसा तक फेल करे या करावें जिससे प्रार्थी के हितों पर कुठाराघात होता हो तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने अप्रार्थीगण को जरिऐ अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है एवं प्रकरण के निस्तारण हेतु हमें अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन बिन्दूओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति पर विचार करना है :–

प्रथम दृष्टया मामला :– प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वाद भूमि प्रार्थी वाद भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा खातेदार काश्तकार को अपनी खातेदारी भूमि उपयोग उपभोग का पूर्ण अधिकार होता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं पाया जाता है।

सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति :– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना नही पाया गया है और जहां तक सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति के बिन्दु के बात है तो ''प्रार्थी का एक अनुवानी प्रकरण अन्तर्गत धारा 251 ए में

रास्ता बाबत विचाराधीन तथा श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 03.07.2018 को इस आश्य से रिमाण्ड की गई है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलान्ट/प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में से आवागमन हेतु रास्ता के बिन्दु को मध्यनजर रखते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 उ के अन्तर्गत कार्यवाही कर नियमानुसार रास्ते के आवेदन का निस्तारण हेतु लिख गया है'' गया है एवं उभय पक्षकारान के मध्य रास्ते को लेकर प्रार्थी परिवादी दलीपसिह के द्वारा प्रस्तुत एफ.आई.आर की चित्रप्रति पुलिस थाना भिरानी इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107,116(3) द.प्र.स. दिनांक 17.07.2018 को करवायी गयी है। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियत की धारा 251 ए का प्रकरण विचाराधीन है जिससे उभय पक्षकारान का नियमानुसार विधि सम्मत निर्णय होना है तथा जब तक धारा 251 ए का निस्तारण नही हो जाता है तो प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में अप्रार्थीगण के द्वारा किसी भी प्रकार से प्रार्थी के खेत मे से होकर आवागमन करने व फसल आदि को नुकसान का पहुचाने का किसी भी प्रकार कोई हक अधिकार नही है,, तथा अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि मु.न. 147 व 148 से अपने अपने खेतों में पिछले 60 वर्षो से प्रवेश करते है लेकिन अप्रार्थीगण के पास इस संबंध में कोंई दस्तावेजी साक्ष्य नही है कि वाद भूमि में कोई गै.मु.रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिससे होकर अप्रार्थीगण आवागमन करते हो। अतः सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण इस आश्य से स्वीकार किया जाता है कि दिनांक 31.01.2017 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए कन्फर्म की जाती है तथा अप्रार्थीगण को पांबन्द किया जाता है कि प्रार्थी के चक 9 जेएसएल के मु.न. 147 के किला नं. 16 व मु.न. 148 के किला नं. 20 मे से सीमा तोड़कर खेत में प्रवेश नही करे, फसल व जुताई को नष्ट नही करे तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 20.8.18..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी